

संघ प्रदेश प्रशासन
दादरा एवं नगर हवेली (सं। प्र।)
दादरा एवं नगर हवेली
योजना एवं विकास प्राधिकरण (डीएनएचपीडीए)
सिलवासा

प्रेस नोट

संघ प्रदेश दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुलभाई पटेल के अथाह प्रयत्नो से संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेलीकी जनता का एक सपना सब्जी मंडी आमली, सिलवासा मे साकार होने जा रहा हे। उपरोक्त सब्जी मंडी के लिए आमली मे सर्वे नंबर ११, प्लॉट नंबर १३, १४ एवं १५ की कुल मिलकर ७४०० वर्ग मीटर भूमि जो की गुजरात सरकार के दमन गंगा नहर विभाग, गांधीनगर के अधीन थी, उसके लिए संघ प्रदेश के प्रशासक माननीय श्री प्रफुलभाई पटेल द्वारा गुजरात सरकार के मंत्री श्री परबतभाई पटेल, माननीय राज्य कक्षा के मंत्री नर्मदा जलसंपत्ती एवं कल्पसर विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर एवं श्री कौशिकभाई पटेल, माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर के साथ बातचीत करके उपरोक्त भूमि दादरा एवं नगर हवेली की एक महत्वपूर्ण परियोजना सब्जी मंडी के लिए आवंटित कराई हे। उपरोक्त भूमि आवंटन के लिए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेलीके समाहर्ता एवं अध्यक्ष, दादरा एवं नगर हवेली योजना एवं विकास प्राधिकरण, सिलवासा एवं पीडीए के समस्त टीम का भी महत्व पूर्ण योगदान रहा हे। सब्जी मंडी (vegetable market) का निर्माण आमली, सिलवासा मे 16.45 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा हे। 6800 square meter की वृहदाकार सब्जी मंडी 18 महीनों मे बनकर तैयार हो जाएगी। इसमे लगभग 400 सब्जी विक्रेता अपनी रोजी रोटी कमा पाएगे। महिला सब्जी विक्रेताओ व स्ट्रीट वेंडरों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा का खास ध्यान रखा गया हे जिसमे अलग शौचालय और बैठने की जगह दी गई हे। तीन मंज़िला इस इमारत में भूतल सब्जी विक्रेताओ, प्रथम तल फल और फूल विक्रेताओ हेतु और द्वितीय व तृतीय तल अन्य व्यवसायिक गतिविधिओ हेतु आवंटित रहेगा। दिव्यांग भाई बहनो हेतु लिफ्ट और रेंप की व्यवस्था रहेगी। Biogas plant, cold storage, basement parking जेसी सुविधाओ से युक्त यह वेजीटेबल मार्केट स्ट्रीट वेंडरों और ग्राहको की सुविधा को ध्यान मे रखकर बनाया जा रहा हे। उपरोक्त सब्जी मंडी मे सिलवासा के सब्जी विक्रेता के अलावा दादरा एवं नगर हवेलीके

आसपास के इलाके से आनेवाले (खुदरा) छूटक सब्जी विक्रेताओं को भी अपनी सब्जी बेचने का प्रावधान रहेगा। इस प्रकार इन गांवों के गरीब नागरिकों को शहर में सम्मान पूर्वक रोजगार करने हेतु स्थान प्राप्त होगा।

सब्जी मंडी परियोजना का भूमि पूजन आज दिनांक ०३/१२/२०१८ के दिन सुबह १०:०० बजे सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राकेशसिंह एम। चौहान एवं उपाध्यक्ष श्री अजयभाई देसाई के करकमलों द्वारा सिलवासा नगर पालिका के अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, DNHPDA के कार्यपालक अभियंता, PWD Building के कार्यपालक अभियंता, PWD रोड के कार्यपालक अभियंता अन्य अधिकारी गण एवं DNHPDA, SMC के अन्य अधिकारी एवं स्टाफ एवं भारी मात्रा में उपस्थित सब्जी विक्रेता एवं जनता की उपस्थिति में किया गया।

भूमि पूजन कार्यक्रम का प्रारंभ DNHPDA के कार्यपालक अभियंता श्री जे। एम। कापडी द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों के स्वागत उनको तुलसी के पौधे देकर किया गया। सर्व प्रथम श्री जे। एम। कापडी ने उपरोक्त सब्जी मंडी की रूपरेखा की जानकारी दी। उसके बाद सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राकेशसिंह चौहान द्वारा सब्जी मंडी भूमि पूजन पर उसके साकार होने पर संघ प्रदेश के प्रशासक महोदय श्री प्रफुलभाई पटेल का आभार व्यक्त किया। सिलवासा नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री अजयभाई देसाई ने भी उपरोक्त सब्जी मंडी आमली, सिलवासा में बनाने पर संघ प्रदेश के प्रशासक महोदय श्री प्रफुलभाई पटेल का आभार व्यक्त किया।

अंत में सदस्य सचिव, (डीएनएचपीडीए), सिलवासा द्वारा उपरोक्त सब्जी मंडी के भूमि पूजन समारोह में सब्जी मंडी के साकार होने पर संघ प्रदेश के प्रशासक महोदय श्री प्रफुलभाई पटेल का आभार व्यक्त किया एवं संघ प्रदेश के समाहर्ता जी का भी आभार व्यक्त किया एवं वहां पर उपस्थित सभी महानुभावों, सब्जी विक्रेता एवं आम जनता का धन्यवाद किया।



सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष राकेशसिंह चौहाण ने नये सब्जी मार्केट के निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन

■ नगरपालिका सीओ मोहित मिश्रा, उपाध्यक्ष अजय देसाई, काउंसिलरों सहित स्टाफ की रही उपस्थिति ■ 18 महीने में बनकर तैयार होगी अत्याधुनिक सब्जी मार्केट ■ सडक पर बैठकर सब्जी बेचने से सब्जी बिक्रेताओं को जल्द मिलेगी निजात



असली आजादी ब्यूरो, सिलवासा 03 दिसंबर। पिछले काफी समय से सब्जी मार्केट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सिलवासा नगरपालिका ने आज नयी सब्जी मंडी की नींव रखी। सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष राकेशसिंह चौहाण ने उपाध्यक्ष अजय देसाई, नगरपालिका सीओ मोहित मिश्रा, काउंसिलरों एवं नगरपालिका स्टाफ की उपस्थिति में नये सब्जी मार्केट के निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया। इस सब्जी मार्केट के निर्माण के बारे में दी गयी जानकारी में बताया गया है कि आमली सिलवासा गांव के सर्वे नं. 11 प्लॉट नं. 13, 14, 15 कुल 7,400स्क्वॉयर मीटर जमीन पर अत्याधुनिक सब्जी मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। यह मॉडल सब्जी मार्केट ग्राउंड समेत तीन

मंजिला बनेगी। इसके साथ ही बेसमेंट पार्किंग, पीने के लिए शुद्ध पानी, शौचालय सहित की अन्य सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राउंड एवं पहले मंजिला पर छोटे-बड़े व्यापारियों एवं होलसेल विक्रेताओं को दुकानें दी जायेगी। 2 और 3 मंजिला कॉमर्शियल के लिए होगी। इसके साथ ही सब्जी विक्रेताओं के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जायेगा, ताकि सब्जी विक्रेता बची हुई सब्जियों को आराम से कोल्ड स्टोरेज में रख सकें जिससे उनकी सब्जियां खराब भी नहीं होगी और उन्हें नुकसान भी नहीं होगा। मॉडल वेजिटेबल मार्केट करीब 16.450 करोड रूपए की लागत से 18 महीने में बनकर तैयार हो जायेगी। इस सब्जी मार्केट निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपा गया है। मॉडल वेजिटेबल मार्केट बन

जाने के बाद पीडीए डिपार्टमेंट इसे सिलवासा नगरपालिका को सौंप देगा। नया सब्जी मार्केट बनने के बाद सडक पर बैठकर सब्जी बेचने से सब्जी बिक्रेताओं को निजात मिल जायेगी। आज सब्जी मार्केट के भूमिपूजन अवसर पर पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों एवं व्यापारियों की उपस्थिति रही। उल्लेखनीय है कि सिलवासा नगरपालिका के पास सब्जी मार्केट बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पा रही थी। इस बात की जानकारी होते ही प्रशासक प्रफुल पटेल ने गुजरात सरकार के राजस्व मंत्री से बातचीतकर सब्जी मार्केट के लिए जगह उपलब्ध करवायी। जिसके बाद आज सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष राकेशसिंह चौहाण ने अपने टीम के साथ सब्जी मार्केट के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।



दानह में शिक्षा संस्थानों के 100 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा, बीडी सहित की बिक्री प्रतिबंध पर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

सिलवासा, 3 दिसंबर। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान आये हैं। दानह के जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिगरेट, गुटखा, पान-मसाला, बीडी सहित की बिक्री इस संस्थानों के नजदीक किए जाने की जानकारी मिली है। सीआरपीसी की धारा 144 अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने दानह में स्थित सभी शिक्षा संस्थानों के 100 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा, बीडी वगैरह की बिक्री पर प्रतिबंध जारी किया है जो कि 3 दिसंबर 2018 से 60 दिनों के लिए यानि 31 जनवरी 2019 तक लागू होंगे। इस आदेश की अवहेलना करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिलवासा-नरोली चार रस्ता (शहीद चौक), झंडा चौक एवं किलवणी नाका के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा 144 लागू

■ धरना, रैली, सभा सहित सूत्रोच्चार करने पर 31 जनवरी 2019 तक प्रतिबंध सिलवासाए 3 दिसंबर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने सिलवासा-नरोली चार रस्ता (शहीद चौक), झंडा चौक और किलवणी नाका के 100 मीटर के परिक्षेत्र में धारा 144 लागू की है। डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह स्थान सबसे व्यस्त यातायात जंक्शन है और किसी भी तरह की अवरोध से संघ प्रदेश के अन्य सभी विस्तारों से कनेक्टिविटी में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः इन विस्तारों में धरना, रैली, सभा सहित सूत्रोच्चार को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 3 दिसंबर 2018 से 60 दिनों के लिए यानि 31 जनवरी 2019 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार किसी भी राजनैतिक पार्टी, निजी संगठन या गुट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया की जाती है तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

सिलवासा सचिवालय एवं कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर परिक्षेत्र में धारा 144 लागू

■ धरना, रैली, सभा सहित सूत्रोच्चार करने पर 31 जनवरी 2019 तक प्रतिबंध सिलवासाए 3 दिसंबर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन ने सिलवासा सचिवालय एवं कलेक्टर कार्यालय के 100 मीटर के परिक्षेत्र में धारा 144 लागू की है। डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस विस्तार में धरना, रैली, सभा सहित सूत्रोच्चार को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 3 दिसंबर 2018 से प्रभाव में आकर 60 दिनों तक यानि 31 जनवरी 2019 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार किसी भी राजनैतिक पार्टी, निजी संगठन या गुट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया की जाती है तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। आदेशानुसार दानह एसपी द्वारा सचिवालय और कलेक्टर कार्यालय पर दिन-रात पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मी तैनात करेंगे।



सूरत से मुंबई के बीच लोकल ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर रेल कमेटी की बैठक में होगी चर्चा

ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर | सूरत

मुंबई की लोकल ट्रेन वापी और सूरत तक चल सकती है। इसके प्रयास होने शुरू हो गए। जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी (जेडआरयूसीसी) और मुंबई रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन दिसंबर के मध्य या जनवरी में होने वाली रेल अधिकारियों की कमेटी की बैठक में वापी और सूरत तक उपनगरीय ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखेंगे। मुंबई रेल पैसेंजर एसोसिएशन का कहना है कि उपनगरीय ट्रेनों का संचालन दहाणू रोड तक तो हो ही रहा है। इसे उमरगांव तक बढ़ाने की भी योजना है। कुछ ही दूरी पर स्थित वापी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। मुंबई और सूरत से रोज हजारों यात्री काम करने वापी जाते हैं। डीएमयू ट्रेनें चलती हैं, तो लोकल क्यों नहीं।



जेडआरयूसीसी: हमारा एजेंडा तैयार है, बैठक में रखेंगे

जोनल रेल कमेटी सदस्य और मुंबई रेल पैसेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने कहा कि हमने इसका एजेंडा तैयार कर लिया है। कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक में इसे प्रमुखता से रखा जाएगा। पश्चिम रेल के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि लोकल को सूरत तक चलाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त ट्रैक की जरूरत पड़ेगी। साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस पर चलने के लिए लोकल में टॉयलेट रूम भी बनाने पड़ेंगे। इस पर अभी केवल विचार किया जा सकता है। दहाणू रोड से वापी तक लोकल चलाने के लिए सोचा जा सकता है।